<u>माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

प्रकरण क्रमांक / 16 निगरानी निग–7184–PBR–16

श्रीमती शिवकरणबाई पति श्री गुलाबसिंह राजपूत,
निवासी – सुनवानी कराड तहसील देवास
.................प्रार्थी

<u>विरूद्ध</u>

1:– म.प्र. शासन द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास
2:– रमेशचन्द्र पिता श्री जगन्नाथ महाजन
निवासी टिगरीया गोगा तहसील देवास
..............प्रतिप्रार्थीगण

विषय – <u>न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/बी–103/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 24–06–2014 के विरूद्ध धारा 57 भारतीय मुद्रांक अधिनियम,1899 के अन्तर्गत निगरानी</u>

माननीय महोदय,

प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

::भूमिका ::

1. यह कि बिक्रीत संपत्ति सूनवानी कराड प.ह.न. 46 तहसील देवास जिला देवास में स्थित है। जिसका सर्वे. नं. 210 रकबा 4.27 हेक्टर में से 3.27 हेक्टर भूमि असिंचित है। व रकबा 0.50 आरे कृषि भूमि असिंचित दो फसली एवं रकबा 0.50 आरे कृषि भूमि सिंचित क्रय कि गई है। उक्त भूमि रोड से अंदर है। प्रतिप्रार्थी क्रं. 2 ने प्रार्थी के हित में विक्रय पत्र सम्पादित किया था ।

2. यह कि उप पंजीयक द्वारा समूचित स्टाम्प अवसर दिये बिना भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 33 में उक्त विलेख परिवद्ध (Impound) कर कमी स्टाम्प षुल्क 91,290/– वसुली हेतु प्रकरण बनाकर स्टाम्प कलेक्टर देवास की ओर संदर्भित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक 7184—पीबीआर/2016 निगरानी जिला देवास

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
3/5/19	यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प्स जिला देवास के प्रकरण कमांक 28 बी—103/2007—08 में पारित आदेश दिनांक 24—6—2014 के विरूद्ध भारतीय मुद्रॉक अधिनियम 1899 की धारा 57 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। आवेदक के अभिभाषक को निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर सुना जा चुका है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भारतीय मुद्रॉक अधिनियम 1899 की धारा 57 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्पस जिला देवास के आदेश दिनांक 24—6—2014 के विरूद्व निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0शासन, बाणिज्यकर विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा जारी एंव मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण 18 सितम्बर 2018 पर प्रकाशित सॅशोधन कमांक बी—04—05—2018—2—पांच (45) दिनांक 18 सितम्बर 2018 अनुसार कलेक्टर आफ स्टाम्पस व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व अपील राजस्व आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। तद्नुसार अपील के रूप में सुने जाने हेतु प्रकरण आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के न्यायालय में दिनांक 30—4—2019 को उपस्थित होवें। आयुक्त, उज्जैन संभाग सदस्य	